



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2208]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2016/भाद्र 18, 1938

No. 2208]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016/BHADRA 18, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2016

**का.आ. 2907(अ).**—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

असम राज्य के सोनितपुर जिले के उत्तरी भाग में अवस्थित सोनाई-रुपाई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी पादगिरि के साथ स्थित है और 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीवजन्तु की समृद्ध जैविकीय महत्व का प्रतिनिधित्व है ;

और, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में आरक्षित वनों के अंतर्गत पूर्व में जैसे- चारदौर, बलीपारा, नदौर, वीसवनाथ, बेहली और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम में रोवता आरक्षित वन एकमात्र पारिस्थितिक इकाई का महत्वपूर्ण घटक है;

और, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य नामेरी राष्ट्रीय उद्यान के साथ सोनितपुर कामेंग हाथी आरक्षित के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र के उत्तर तट पर महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से एक है और अभयारण्य महा-शाकभक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है जैसे- एशियन हाथी, जंगली भैंसा के साथ साथ कई मांसाहारी शामिल है जैसे – तेंदुआ;

और, सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य का भू-भाग अभयारण्य के उत्तरी भाग को छोड़कर अधिकांश समतल है जहां भू – भाग क्रमशः वर्धमान ढाल के साथ तरंगित होकर उत्तर की ओर जाता है। यहाँ पर चार बारहमासी नदियां अर्थात् दोलसीरी, गभारू, गेलगेली और बेलसीरी है जिसमें वर्षा ऋतु के दौरान कई भील (आर्द्र भूमि) भी विस्तारित होती है और मिट्टी सूक्ष्म रेत के साथ चिकनी मिट्टी में अधिकतर प्रकृतिस्थ होती है और आरक्षित के अधिक भाग में सुस्पष्ट है कि भागर निर्माण में शिलाखंड, बटिया और कंकड है और यह उत्तरी भाग में प्रमुख है ;

और, सोनाई - रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत वनों में उष्णकटिबंधी सदाबहार, अर्धसदाबहार बेंत झाड़ी के साथ आर्द्र पर्णपाती वन और नदियों के साथ खुले घासभूमि की संकीर्ण पट्टी और उद्यान के घास भूमि का कुल क्षेत्र 10% से कम है जबकि क्षेत्र में प्रमुख अर्धसदाबहार और आर्द्र पर्णपाती प्रजातियाँ और आरक्षित के अंतर्गत वनों के प्रकार उपलब्ध हैं, जैसे- असम घाटी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उप –हिमालय जलोढ, अर्ध सदाबहार वन, पूर्वी जलोढ माध्यमिक अर्ध सदाबहार वन, बेंत झाड़ी, कम जलोढ सवाना वुडलैंड, पूर्वी होलाँक वन, पूर्वी मौसमी दलदल वन, पूर्वी दील्लेनिया दलदल वन और पूर्वी आर्द्र जलोढ घासभूमि है;

और, सोनाई - रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में मांसभक्षी और महा-शाकभक्षी की समृद्ध विविधता की प्रतिष्ठा है और अभयारण्य के मुख्य परभक्षी में तेंदुआ और जंगली कुत्ता है और अतीत में बाघ की उपस्थित को प्रतिवेदित किया गया था और महा-शाकभक्षी जैसे- एशियन हाथी और भारतीय गौर अधिकांश अच्छी संख्या में पाए जाते है और अन्य प्रजातियों में सांभर, काकड, पाढा, हिमालय क्रिस्टलेस साही, कस्तूरा, मुसंग काला भालू और रीछ अभिलिखित है;

और, सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, में पक्षी जीव की विविध प्रजातियां और रिजर्व में दिखाई देने वाली कुछ दुर्लभ और संकटापन्न पक्षी प्रजातियों में सम्मिलित जैसे वाइट विंगड वुडबत्तख, ग्रे धनेश, ओरियट पाइड धनेश, वरथड धनेश, और बंगाल फलोरिकन प्राप्त करता है। सरसृपो, उभयचरों और अन्य अकशेरुकी की विविधता बराबर प्रभावशाली है;

और, सोनाई- रूपाई वन्य जीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य में सोनाई- रूपाई वन्य जीव अभयारण्य की सीमा से चारों ओर 5.0 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को सोनाई- रूपाई वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-1. सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी दिशा के इर्द गिर्द 5.0 किलोमीटर तक के विस्तार का होगा, वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा असम और अरुणाचल प्रदेश के अंतःराज्य सीमा के बीच है। पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली ग्रामों की सूची उपाबंध I में दी गई है। सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक **उपाबंध I क** में दिए गए हैं।

2. सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ साथ बिन्दुओं के जीपीएस निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

3. पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र के साथ सीमा के व्यौरे और अक्षांश तथा देशांतर **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

**2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना -** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन;
- (iii) शहरी विकास;
- (iv) पर्यटन;
- (v) नगरपालिका;
- (vi) राजस्व;
- (vii) कृषि;
- (viii) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

(9) असम राज्य सरकार अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के लिए आंचलिक महायोजना पृथक् रूप से तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय -- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 13, 25, 33, 39 और 40 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ बनाना;
- (iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचयन; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोतों - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, या असम राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, या असम राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

#### (12) औद्योगिक इकाइयां -

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

**4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्विनिर्माण बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
<b>प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(5)	नई वृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	मोबाईल टावरों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

(8)	बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउसों और अन्य वाणिज्यिक कृषि और उद्यान कृषि, उद्यम की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। तथापि स्थानीय किसानों द्वारा छोटे पैमाने पर पहल लागू विधियों के अनुसार लागू की जा सकेगी।
(9)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(10)	नए या विद्यमान भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(11)	गोला बारूद डिपो/क्षेपण/ गोलाबारी क्षेत्र की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(12)	बड़े वाणिज्यिक पशुधन/कुक्कुट/फार्मों/ खूंटियों (पशु शिविर या विदेशी पशुओं वाले फार्मों की स्थापना)।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
<b>विनियमित क्रियाकलाप</b>		
(13)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।  परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(14)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(15)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा। परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी। ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। परन्तु, जहाँ एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
(16)	ट्रेनिंग ग्राउंड।	नए ट्रेनिंग ग्राउंड की स्थापना प्रतिषिद्ध है। पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(17)	प्राकृतिक जल निकायों में बहिर्वाह और ठोस अपशिष्ट का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(18)	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

(20)	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
(22)	प्रवासी चारवाहे।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(23)	प्लास्टिक बैगों का उपयोग/व्ययन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(24)	विद्युत लाईनों का इन्सुलेशन	भूमिगत केवल डालने का संवर्धन किया जाएगा। सभी विद्यमान विद्युत लाईनों जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से होकर गुजरती हैं, को आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय सूची में पर्याप्त रूप से इन्सुलेट किया जाएगा।
(25)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
(26)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव के मुक्त संचरण के लिए, होटल या अन्य वाणिज्यिक स्थापना अपनी संपत्तियों को कंटीले तार से घेराबंदी नहीं करेंगे और कोई भी घेराबंदी 1 मीटर से ऊंची नहीं होगी। इस अनुबंध का पालन न करने वाले किसी विद्यमान घेराबंदी को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा।
(27)	कृषि प्रणालियों में प्रबल परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग, जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(29)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(30)	विदेशी प्रजातियों का प्रारंभ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(31)	साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(32)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	कोई संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक 1 से 10 से अधिक पहाड़ी ढालों पर और किसी नदी के तटों से 100 मीटर तक और प्राकृतिक नाले को बनाने की कार्रवाई नहीं कर ली जाए।
(33)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्योग, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(34)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(35)	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
<b>संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
(36)	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रहे कृषि और बागवानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।



(37)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(38)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(39)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(40)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(41)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(42)	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(43)	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(44)	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(45)	समुदाय प्रकृति भंडार।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

**5. मानीटरी समिति-** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1. संबद्ध जिला कलेक्टर - अध्यक्ष ;
2. पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए असम सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - सदस्य;
3. गैर सरकारी संगठन (पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का एक प्रतिनिधि जो तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए - सदस्य;
4. क्षेत्रीय अधिकारी, असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य;
5. राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य -सदस्य;
6. संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी क्षेत्रीय - सदस्य सचिव ।

## 6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्ष का होगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान का भारसाधक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/5/2016-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध-I**

**सोनाई – रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची**

क्र.सं.	नाम	देशांतर	अक्षांश
1.	कचहारी गांव	92°37'23.87	26°53'30.21
2.	लोटारा	92°37'44.41	26°51'53.34
3.	ताराजुली	92°38'21.12	26°51'34.17
4.	ताराजुली टी.जी	92°38'5.055	26°51'19.75
5.	धानधारी टी.जी	92°37'50.12	26°50'42.92
6.	जियाघाभरू	92°35'32.80	26°51'25.52
7.	रीकामरी	92°34'33.65	26°51'18.05
8.	कालामती	92°32'52.00	26°51'44.73
9.	भाईगनाजुली	92°33'11.40	26°51'26.58
10.	दीधालीजुली	92°33'56.28	26°51'19.45
11.	नहरानी	92°33'0.179	26°51'3.843
12.	कोलाबरी	92°34'36.03	26°50'35.50

13.	धानखाना सं.1		92°32'32.69	26°49'57.15
14.	धानखाना सं.2		92°33'23.09	26°49'31.35
15.	नेपालीबस्ती		92°34'12.16	26°49'37.29
16.	रामनाथपुर		92°31'20.23	26°49'15.23
17.	घोरानीबिल		92°34'57.05	26°50'20.74
18.	बलीकुथी		92°35'37.94	26°50'17.17
19.	भेरबरी		92°34'39.64	26°50'11.49
20.	कथलगुरी		92°33'28.23	26°50'19.46
21.	गभरू		92°37'17.12	26°49'28.13
22.	कदाबिल		92°18'21.49	26°51'42.06
23.	हतीतोपुर		92°19'0.298	26°51'22.38
24.	जिंगाबिल		92°19'50.31	26°51'29.67
25.	दियोनसानी		92°20'23.22	26°51'14.40
26.	जग्गापुर		92°19'35.95	26°50'24.68
27.	बेटीबरी टी.जी		92°18'47.74	26°50'9.922
28.	लोकमपुर		92°19'36.14	26°49'39.54
29.	भोतापारा		92°20'59.16	26°49'11.03
30.	चापाई रौमार		92°22'16.57	26°49'20.19
31.	झारगांव		92°22'48.81	26°49'13.32

उपाबंध-क

## सोनाई - रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक

क्र. सं.	जी.पी.एस	देशांतर	अक्षांश
1.	ई01	92° 22.079'पू	26° 55.878'उ
2.	ई 02	92° 24.067'पू	26° 55.461'उ
3.	ई 03	92° 27.187'पू	26° 57.515'उ
4.	ई 04	92° 30.472'पू	26° 57.763'उ
5.	ई 05	92° 34.781'पू	26° 57.534'उ

6.	ई 06	92° 35.024'पू	26° 54.725'उ
7.	ई 07	92° 35.825'पू	26° 51.802'उ
8.	ई 08	92° 28.857'पू	26° 51.776'उ
9.	ई 09	92° 20.973'पू	26° 51.845'उ
10.	ई 10	92° 21.080'पू	26° 54.047'उ

उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ चारों कोनों के भू- निर्देशांक

0-1 किलोमीटर जोन के सीमा निर्देशांक

क्र. सं	देशांतर	अक्षांश	क्र. सं	देशांतर	अक्षांश
1	92°20'13.25	26°52'44.04	47	92°34'54.96	26°55'29.49
2	92°20'15.60	26°53'14.13	48	92°34'48.89	26°55'37.31
3	92°20'27.09	26°53'35.24	49	92°34'49.44	26°55'43.41
4	92°20'26.32	26°53'52.32	50	92°35'5.415	26°55'52.30
5	92°20'37.93	26°54'48.11	51	92°35'10.52	26°56'9.541
6	92°20'52.82	26°55'7.651	52	92°35'17.59	26°56'14.80
7	92°21'6.490	26°55'44.88	53	92°35'9.935	26°56'13.91
8	92°21'17.50	26°55'56.53	54	92°35'2.437	26°56'20.50
9	92°21'58.46	26°56'3.863	55	92°35'7.603	26°56'22.71
10	92°22'4.889	26°55'50.58	56	92°35'1.730	26°56'30.51
11	92°21'39.05	26°55'30.59	57	92°35'2.469	26°56'38.13
12	92°21'25.85	26°54'54.12	58	92°35'8.958	26°56'45.36
13	92°21'11.01	26°54'34.82	59	92°35'1.467	26°56'49.81
14	92°21'1.347	26°53'43.93	60	92°34'59.32	26°56'58.22
15	92°21'2.978	26°53'26.68	61	92°34'51.26	26°57'1.977
16	92°20'51.58	26°53'10.14	62	92°34'41.42	26°57'18.43
17	92°20'48.25	26°52'49.17	63	92°34'51.28	26°57'28.50
18	92°20'51.76	26°52'38.88	64	92°35'5.895	26°57'29.62
19	92°20'47.57	26°52'33.71	65	92°35'25.81	26°57'38.36

20	92°20'50.10	26°51'54.22	66	92°35'26.06	26°57'19.42
21	92°20'54.33	26°51'50.63	67	92°35'42.24	26°56'58.26
22	92°30'5.988	26°51'45.74	68	92°35'43.68	26°56'37.07
23	92°32'43.58	26°51'48.34	69	92°35'53.00	26°56'21.82
24	92°35'40.26	26°51'44.07	70	92°35'53.74	26°56'12.21
25	92°35'50.21	26°51'46.33	71	92°35'31.23	26°55'29.53
26	92°35'41.16	26°52'0.389	72	92°35'39.10	26°54'43.52
27	92°35'20.82	26°52'13.04	73	92°35'33.56	26°54'24.98
28	92°35'6.966	26°52'30.84	74	92°35'34.48	26°53'53.12
29	92°35'4.626	26°52'42.17	75	92°35'27.56	26°53'31.35
30	92°34'57.81	26°52'45.67	76	92°35'32.92	26°53'16.32
31	92°34'53.08	26°52'56.39	77	92°35'32.27	26°53'2.284
32	92°34'56.46	26°53'14.88	78	92°35'46.70	26°52'36.65
33	92°34'41.46	26°53'30.81	79	92°36'8.935	26°52'21.27
34	92°34'51.20	26°53'36.70	80	92°36'18.36	26°52'8.986
35	92°34'53.95	26°53'44.18	81	92°36'26.26	26°51'42.97
36	92°34'49.14	26°53'51.47	82	92°36'17.62	26°51'25.06
37	92°34'38.30	26°53'54.35	83	92°36'9.249	26°51'18.67
38	92°34'42.89	26°53'58.66	84	92°35'39.04	26°51'11.58
39	92°34'59.64	26°54'2.109	85	92°32'43.85	26°51'15.83
40	92°34'59.69	26°54'13.87	86	92°30'7.146	26°51'13.26
41	92°34'52.44	26°54'30.34	87	92°20'54.02	26°51'18.13
42	92°35'2.895	26°54'41.81	88	92°20'40.79	26°51'20.48
43	92°35'0.345	26°54'58.12	89	92°20'18.89	26°51'37.69
44	92°34'55.63	26°55'1.589	90	92°20'13.87	26°51'55.10
45	92°34'58.95	26°55'11.30	91	92°20'13.25	26°52'44.04
46	92°34'54.73	26°55'13.26			

## 2-3 किलोमीटर जोन के सीमा निर्देशांक

क्र.सं	देशांतर	अक्षांश	क्र.सं	देशांतर	अक्षांश
1	92°19'2.041	26°52'12.84	26	92°20'4.652	26°51'3.304
2	92°18'59.00	26°52'37.19	27	92°20'27.35	26°50'50.25
3	92°19'1.989	26°52'51.56	28	92°20'53.79	26°50'45.55
4	92°19'0.990	26°53'4.620	29	92°30'8.389	26°50'40.70
5	92°19'3.748	26°53'22.03	30	92°32'44.20	26°50'43.24
6	92°19'10.45	26°53'45.72	31	92°35'37.90	26°50'39.02
7	92°19'13.75	26°53'51.14	32	92°36'8.102	26°50'43.24
8	92°19'22.73	26°54'43.06	33	92°36'28.36	26°50'50.93
9	92°19'31.84	26°55'14.60	34	92°36'45.11	26°51'3.727
10	92°19'46.32	26°55'34.04	35	92°36'56.82	26°51'20.43
11	92°19'48.80	26°55'40.44	36	92°37'2.394	26°51'39.53
12	92°20'29.97	26°55'48.03	37	92°37'1.323	26°51'59.24
13	92°20'19.20	26°55'20.15	38	92°36'51.81	26°52'21.61
14	92°20'4.932	26°55'1.322	39	92°36'36.79	26°52'42.08
15	92°19'58.86	26°54'40.29	40	92°36'15.00	26°52'58.57
16	92°19'49.19	26°53'42.04	41	92°36'8.847	26°53'12.35
17	92°19'44.19	26°53'33.84	42	92°36'8.790	26°53'21.45
18	92°19'39.72	26°53'18.04	43	92°36'5.225	26°53'32.62
19	92°19'36.77	26°52'59.44	44	92°36'9.404	26°53'44.06
20	92°19'37.66	26°52'47.77	45	92°36'12.14	26°54'5.285
21	92°19'35.22	26°52'36.01	46	92°36'10.71	26°54'20.14
22	92°19'38.36	26°52'14.37	47	92°36'12.70	26°54'23.88
23	92°19'37.73	26°51'55.90	48	92°36'15.39	26°54'45.16
24	92°19'40.02	26°51'37.85	49	92°36'9.767	26°55'22.11
25	92°19'47.78	26°51'21.08	50	92°36'13.97	26°55'32.84

51	92°36'25.10	26°55'50.77	74	92°36'42.99	26°53'32.73
52	92°36'29.98	26°56'9.542	75	92°36'44.61	26°53'19.63
53	92°36'28.50	26°56'28.76	76	92°37'8.411	26°52'58.85
54	92°36'20.88	26°56'46.56	77	92°37'25.17	26°52'34.31
55	92°36'21.06	26°56'52.98	78	92°37'36.83	26°52'5.734
56	92°36'15.62	26°57'11.09	79	92°37'38.43	26°51'36.16
57	92°36'3.962	26°57'27.62	80	92°37'30.07	26°51'7.528
58	92°36'1.194	26°57'46.38	81	92°37'12.52	26°50'42.46
59	92°35'58.09	26°57'52.54	82	92°36'47.39	26°50'23.27
60	92°36'30.35	26°58'6.669	83	92°36'17.00	26°50'11.73
61	92°36'36.07	26°57'55.31	84	92°35'36.67	26°50'6.540
62	92°36'38.54	26°57'38.73	85	92°32'44.47	26°50'10.73
63	92°36'48.91	26°57'23.98	86	92°30'9.547	26°50'8.215
64	92°36'57.08	26°56'56.82	87	92°20'53.48	26°50'13.05
65	92°36'56.94	26°56'52.06	88	92°20'13.81	26°50'20.10
66	92°37'3.910	26°56'35.78	89	92°19'35.53	26°50'43.26
67	92°37'6.128	26°56'6.947	90	92°19'16.58	26°51'4.550
68	92°36'58.81	26°55'38.79	91	92°19'4.941	26°51'29.70
69	92°36'47.34	26°55'19.12	92	92°19'1.507	26°51'56.77
70	92°36'46.71	26°55'12.13	93	92°19'2.041	26°52'12.84
71	92°36'51.59	26°54'46.87	94	92°20'29.97	26°55'48.03
72	92°36'47.47	26°54'14.79	95	92°20'29.97	26°55'48.03
73	92°36'48.34	26°54'6.907	96	92°20'29.97	26°55'48.03


## 3-5 किलोमीटर जोन के सीमा निर्देशांक

क्र.सं	देशांतर	अक्षांश	क्र.सं	देशांतर	अक्षांश
1	92°17'49.60	26°52'15.20	36	92°37'6.128	26°56'6.947
2	92°17'46.56	26°52'39.55	37	92°37'3.910	26°56'35.78
3	92°17'50.63	26°52'59.15	38	92°36'56.94	26°56'52.06
4	92°17'51.79	26°53'30.00	39	92°36'48.91	26°57'23.98
5	92°18'5.812	26°54'22.34	40	92°36'38.54	26°57'38.73
6	92°18'22.44	26°54'26.50	41	92°36'36.07	26°57'55.31
7	92°18'20.23	26°55'22.36	42	92°36'30.35	26°58'6.669
8	92°19'57.28	26°55'42.17	43	92°37'34.90	26°58'34.88
9	92°19'48.80	26°55'40.44	44	92°37'45.83	26°58'13.16
10	92°19'31.84	26°55'14.60	45	92°37'47.63	26°58'1.069
11	92°19'22.73	26°54'43.06	46	92°37'55.50	26°57'49.77
12	92°19'13.75	26°53'51.14	47	92°38'14.73	26°56'49.81
13	92°19'3.748	26°53'22.03	48	92°38'18.42	26°56'1.750
14	92°18'59.00	26°52'37.19	49	92°38'6.228	26°55'14.83
15	92°19'4.941	26°51'29.70	50	92°38'0.471	26°55'4.616
16	92°19'16.58	26°51'4.550	51	92°38'4.011	26°54'50.28
17	92°19'39.77	26°50'39.67	52	92°37'57.72	26°53'46.65
18	92°20'13.81	26°50'20.10	53	92°38'26.70	26°53'8.431
19	92°20'53.48	26°50'13.05	54	92°38'34.98	26°52'53.19
20	92°30'9.547	26°50'8.215	55	92°38'47.86	26°52'18.70
21	92°32'44.47	26°50'10.73	56	92°38'50.52	26°51'29.42
22	92°35'36.67	26°50'6.540	57	92°38'36.58	26°50'41.69
23	92°36'7.052	26°50'9.471	58	92°38'7.318	26°49'59.92
24	92°36'47.39	26°50'23.27	59	92°37'25.43	26°49'27.94
25	92°37'12.52	26°50'42.46	60	92°36'24.84	26°49'6.455
26	92°37'30.07	26°51'7.528	61	92°35'34.22	26°49'1.571
27	92°37'38.43	26°51'36.16	62	92°32'45.00	26°49'5.709
28	92°37'36.83	26°52'5.734	63	92°30'11.86	26°49'3.243
29	92°37'25.17	26°52'34.31	64	92°20'52.85	26°49'8.054
30	92°37'8.411	26°52'58.85	65	92°19'46.76	26°49'19.80
31	92°36'45.04	26°53'18.60	66	92°18'45.78	26°49'56.00
32	92°36'42.99	26°53'32.73	67	92°18'14.20	26°50'31.47
33	92°36'51.59	26°54'46.87	68	92°17'54.78	26°51'13.40
34	92°36'47.34	26°55'19.12	69	92°17'49.05	26°51'58.51
35	92°36'58.81	26°55'38.79	70	92°17'49.60	26°52'15.20



## उपाबंध - III

अक्षांश और देशांतर सहित सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



## उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th September, 2016

**S.O. 2907(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in).

**Draft Notification**

**WHEREAS**, the Sonai Rupai Wildlife Sanctuary located in northern part of Sonitpur district in the State of Assam and lies along the foothills of Eastern Himalayas of Arunachal Pradesh is spread over an area of 220 square kilometres.

**AND WHEREAS**, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary;

**And whereas**, the Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary forms an important component of a single ecological unit comprising of reserve forests such as Charduar, Balipara, Naduar, Biswanath, Behali and Nameri National Park in the east and Rowta reserve forest in the west;

**AND WHEREAS**, Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary together with Nameri National Parks is part of Sonitpur Kameng Elephant Reserve as well as one of the important protected areas on the North Bank of the Brahmaputra and the sanctuary is known for conservation of mega-herbivores such as Asian Elephant, Indian Bison as well as several carnivores including leopard;

**And whereas**, the terrain of Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary is largely plain except the northern side of the sanctuary where the terrain is undulating with slope increasing gradually towards the north. here are four perennial rivers namely, Dolsiri, Gabharu, Gelgeli and Belsiri and during the rainy season, several bheels (wetlands) also come into existence and the soils are mostly composed of clay loam with fine sand and the Bhabar formation consisting of boulders, cobbles and gravels is noticeable in most part of the reserve and it prominent in the northern part;

**AND WHEREAS**, the Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary forests comprise of tropical evergreen, semi-evergreen, moist deciduous forests with cane brakes and narrow strips of open grassland along rivers and grassland comprise less than 10% of the total area of the park while the semi-evergreen and moist deciduous species dominate the area and the forest types available within the reserve are: Assam Valley Tropical Evergreen Forests, Sub Himalayan Light Alluvial Semi- Ever- green Forests, Eastern Alluvial Secondary Semi Evergreen Forests, Cane Brakes, Low Alluvial Savanna Woodland, Eastern Hollock Forests, Eastern Seasonal Swamp Forests, Eastern Dillenia Swamp Forests and Eastern Wet Alluvial Grassland;

**AND WHEREAS**, the Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary boasts of rich diversity of carnivores and mega-herbivores and the main predators of the sanctuary are leopard and wild dog and in the past tiger presence was reported and the mega herbivores like Asian elephant and Indian Gaur do occur at fairly good numbers and the other species recorded are sambar, barking deer, hog deer, Himalayan Crestless porcupine, Large Indian Civet, Small Indian Civet, Black bear and Sloth bear;

**AND WHEREAS**, the Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary also possess diverse species of avifauna and some of the rare and endangered bird species sighted in the reserve includes white winged wood duck, Great Hornbill, Oriental Pied Hornbill, Wreathed Hornbill and Bengal Florican. Equally impressive is the diversity of reptiles, amphibians and other invertebrates;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area surrounding the protected area of Sonai Rupai Wildlife Sanctuary as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view;

**NOW THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent upto 5.0 kilo mts. around the boundary of Sonai Rupai Wildlife Sanctuary in the State of Assam as the Sonai Rupai Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The Eco-sensitive Zone shall be of an extent upto 5.0 km around the western, southern and eastern side of the Sonai Rupai Wildlife Sanctuary, Northern boundary of Wildlife Sanctuary is the Interstate border between Assam and Arunachal Pradesh. The list of villages falling in the in Eco-Sensitive Zone is given at Annexure-I. Co-ordinates of Sonai Rupai Wildlife Sanctuary is given at Annexure-I A.
- 2.** The GPS Co-ordinates of points along the boundary of Sonai Rupai Wildlife Sanctuary are given at Annexure-II.
- 3.** The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-III.
- 2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
  - (2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
  - (3) The said Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (4) The said Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
    - (i) Environment;
    - (ii) Forest;
    - (iii) Urban Development;
    - (iv) Tourism;
    - (v) Municipal;
    - (vi) Revenue;
    - (vii) Agriculture;
    - (viii) Assam State Pollution Control Board;
    - (ix) Irrigation; and
    - (x) Public Works Department.
  - (5) The said Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
  - (6) The said Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The said Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The State Government of Assam shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities at serial numbers 13, 25, 33, 39 and 40 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) rainwater harvesting; and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance to the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Sonai Rupai Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, arte facts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Assam State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made there under.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic. -** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

**TABLE**

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
<b>Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use.  (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court, dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Setting up of mobile communication towers.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Establishment of large scale green houses and other commercial agriculture/horticultural ventures.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. However initiatives on small scale by local farmers may be permitted as per applicable laws.
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Establishment of new or expansion of existing brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Establishment of ammunition depot/dump/firing range.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Establishment of large scale commercial live stock/poultry farms/khuties (cattle camps) or farms with exotic animals.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
<b>Regulated Activities</b>		
13.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area

		or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan.
14.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot air balloons.	Regulated under applicable laws.
15.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. Further, beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
16.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
17.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
18.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
19.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
20.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
21.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
22.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
23.	Use/disposal of plastic bags.	Regulated under applicable laws.
24.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
25.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.

26.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
27.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial use of natural water resource including ground water harvesting.	Regulated under applicable laws.
29.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
30.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
31.	Sign Board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
32.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
33.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
34.	Solid Waste Management	Regulated under applicable laws.
35.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
<b>Promoted Activities</b>		
36.	On going agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
37.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
38.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
39.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
40.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
41.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
42.	Agro Forestry	Shall be actively promoted.
43.	Skill Development	Shall be actively promoted.
44.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.
45.	Community Nature Reserves	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee.-** The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:

- i) Concerned district Collector - Chairman
- ii) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Assam for a period of three years. -Member
- iii) One representatives of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage) -Member



conservation) to be nominated by the Government of Assam for a period of three years.

- |   |                    |
|---|--------------------|
| iv) Regional Officer, Assam State Pollution Control Board | -Member            |
| v) Member, State Bio Diversity Board                      | -Member            |
| vi) Concerned Divisional Forest Officer Territorial       | -Member-Secretary. |

**6. Terms of Reference.-** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Committee shall be three years.

(3) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned district Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per pro forma given in Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8.** The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/5/2016-ESZ-RE]

DR. T. CHANDINI, Scientist 'G'

## Annexure-I

## List of villages falling within the Eco-sensitive Zone of Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Name	Longitude	Latitude
1.	Kachharigaon	92°37'23.87	26°53'30.21
2.	Lotara	92°37'44.41	26°51'53.34
3.	Tarajuli	92°38'21.12	26°51'34.17
4.	Tarajuli TG	92°38'5.055	26°51'19.75
5.	Dhandai TG	92°37'50.12	26°50'42.92
6.	Jiaghabharu	92°35'32.80	26°51'25.52
7.	Rikamari	92°34'33.65	26°51'18.05
8.	Kalamati	92°32'52.00	26°51'44.73
9.	Bhaiganajuli	92°33'11.40	26°51'26.58
10.	Dighalijuli	92°33'56.28	26°51'19.45
11.	Naharani	92°33'0.179	26°51'3.843
12.	Kolabari	92°34'36.03	26°50'35.50
13.	Dhankhana No 1	92°32'32.69	26°49'57.15
14.	Dhankana No 2	92°33'23.09	26°49'31.35
15.	Nepalibasti	92°34'12.16	26°49'37.29
16.	Ramnathpur	92°31'20.23	26°49'15.23
17.	Ghoranibil	92°34'57.05	26°50'20.74
18.	Balikuthi	92°35'37.94	26°50'17.17
19.	Bherberi	92°34'39.64	26°50'11.49
20.	Kathalguri	92°33'28.23	26°50'19.46
21.	Gabharu	92°37'17.12	26°49'28.13
22.	Kadabil	92°18'21.49	26°51'42.06
23.	Hatitopa	92°19'0.298	26°51'22.38
24.	Jingabil	92°19'50.31	26°51'29.67
25.	Deonsani	92°20'23.22	26°51'14.40
26.	Jaggapur	92°19'35.95	26°50'24.68
27.	Betibari TG	92°18'47.74	26°50'9.922
28.	Lokampur	92°19'36.14	26°49'39.54
29.	Bhotapara	92°20'59.16	26°49'11.03
30.	Chapai Raumar	92°22'16.57	26°49'20.19
31.	Jhargaon	92°22'48.81	26°49'13.32

## Annexure-I A

## CO-ORDINATES OF SONAI RUPAI WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude
1.	E01	92° 22.079'E	26° 55.878'N
2.	E02	92° 24.067'E	26° 55.461'N
3.	E03	92° 27.187'E	26° 57.515'N
4.	E04	92° 30.472'E	26° 57.763'N
5.	E05	92° 34.781'E	26° 57.534'N
6.	E06	92° 35.024'E	26° 54.725'N
7.	E07	92° 35.825'E	26° 51.802'N
8.	E08	92° 28.857'E	26° 51.776'N
9.	E09	92° 20.973'E	26° 51.845'N
10.	E10	92° 21.080'E	26° 54.047'N

## ANNEXURE-II

## Geo-coordinates at Four Corners along Boundary of Eco-sensitive Zone

## Boundary coordinates of 0-1 km Zone

S. No	Longitude	Latitude	S. No	Longitude	Latitude
1	92° 20'13.25	26°52'44.04	47	92°34'54.96	26°55'29.49
2	92° 20'15.60	26°53'14.13	48	92°34'48.89	26°55'37.31
3	92° 20'27.09	26°53'35.24	49	92°34'49.44	26°55'43.41
4	92° 20'26.32	26°53'52.32	50	92°35'5.415	26°55'52.30
5	92° 20'37.93	26°54'48.11	51	92°35'10.52	26°56'9.541
6	92°20'52.82	26°55'7.651	52	92°35'17.59	26°56'14.80
7	92°21'6.490	26°55'44.88	53	92°35'9.935	26°56'13.91
8	92° 21'17.50	26°55'56.53	54	92°35'2.437	26°56'20.50
9	92°21'58.46	26°56'3.863	55	92°35'7.603	26°56'22.71
10	92°22'4.889	26°55'50.58	56	92°35'1.730	26°56'30.51
11	92°21'39.05	26°55'30.59	57	92°35'2.469	26°56'38.13
12	92°21'25.85	26°54'54.12	58	92°35'8.958	26°56'45.36
13	92°21'11.01	26°54'34.82	59	92°35'1.467	26°56'49.81
14	92°21'1.347	26°53'43.93	60	92°34'59.32	26°56'58.22
15	92°21'2.978	26°53'26.68	61	92°34'51.26	26°57'1.977
16	92°20'51.58	26°53'10.14	62	92°34'41.42	26°57'18.43
17	92°20'48.25	26°52'49.17	63	92°34'51.28	26°57'28.50
18	92°20'51.76	26°52'38.88	64	92°35'5.895	26°57'29.62
19	92°20'47.57	26°52'33.71	65	92°35'25.81	26°57'38.36
20	92°20'50.10	26°51'54.22	66	92°35'26.06	26°57'19.42
21	92°20'54.33	26°51'50.63	67	92°35'42.24	26°56'58.26

22	92°30'5.988	26°51'45.74	68	92°35'43.68	26°56'37.07
23	92°32'43.58	26°51'48.34	69	92°35'53.00	26°56'21.82
24	92°35'40.26	26°51'44.07	70	92°35'53.74	26°56'12.21
25	92°35'50.21	26°51'46.33	71	92°35'31.23	26°55'29.53
26	92°35'41.16	26°52'0.389	72	92°35'39.10	26°54'43.52
27	92°35'20.82	26°52'13.04	73	92°35'33.56	26°54'24.98
28	92°35'6.966	26°52'30.84	74	92°35'34.48	26°53'53.12
29	92°35'4.626	26°52'42.17	75	92°35'27.56	26°53'31.35
30	92°34'57.81	26°52'45.67	76	92°35'32.92	26°53'16.32
31	92°34'53.08	26°52'56.39	77	92°35'32.27	26°53'2.284
32	92°34'56.46	26°53'14.88	78	92°35'46.70	26°52'36.65
33	92°34'41.46	26°53'30.81	79	92°36'8.935	26°52'21.27
34	92°34'51.20	26°53'36.70	80	92°36'18.36	26°52'8.986
35	92°34'53.95	26°53'44.18	81	92°36'26.26	26°51'42.97
36	92°34'49.14	26°53'51.47	82	92°36'17.62	26°51'25.06
37	92°34'38.30	26°53'54.35	83	92°36'9.249	26°51'18.67
38	92°34'42.89	26°53'58.66	84	92°35'39.04	26°51'11.58
39	92°34'59.64	26°54'2.109	85	92°32'43.85	26°51'15.83
40	92°34'59.69	26°54'13.87	86	92°30'7.146	26°51'13.26
41	92°34'52.44	26°54'30.34	87	92°20'54.02	26°51'18.13
42	92°35'2.895	26°54'41.81	88	92°20'40.79	26°51'20.48
43	92°35'0.345	26°54'58.12	89	92°20'18.89	26°51'37.69
44	92°34'55.63	26°55'1.589	90	92°20'13.87	26°51'55.10
45	92°34'58.95	26°55'11.30	91	92°20'13.25	26°52'44.04
46	92°34'54.73	26°55'13.26			

**Boundary coordinates of 2-3 km zone**

S. NO	Longitude	Latitude	S. NO	Longitude	Latitude
1	92°19'2.041	26°52'12.84	49	92°36'9.767	26°55'22.11
2	92°18'59.00	26°52'37.19	50	92°36'13.97	26°55'32.84
3	92°19'1.989	26°52'51.56	51	92°36'25.10	26°55'50.77
4	92°19'0.990	26°53'4.620	52	92°36'29.98	26°56'9.542
5	92°19'3.748	26°53'22.03	53	92°36'28.50	26°56'28.76
6	92°19'10.45	26°53'45.72	54	92°36'20.88	26°56'46.56
7	92°19'13.75	26°53'51.14	55	92°36'21.06	26°56'52.98
8	92°19'22.73	26°54'43.06	56	92°36'15.62	26°57'11.09
9	92°19'31.84	26°55'14.60	57	92°36'3.962	26°57'27.62
10	92°19'46.32	26°55'34.04	58	92°36'1.194	26°57'46.38
11	92°19'48.80	26°55'40.44	59	92°35'58.09	26°57'52.54
12	92°20'29.97	26°55'48.03	60	92°36'30.35	26°58'6.669
13	92°20'19.20	26°55'20.15	61	92°36'36.07	26°57'55.31
14	92°20'4.932	26°55'1.322	62	92°36'38.54	26°57'38.73
15	92°19'58.86	26°54'40.29	63	92°36'48.91	26°57'23.98
16	92°19'49.19	26°53'42.04	64	92°36'57.08	26°56'56.82

17	92°19'44.19	26°53'33.84	65	92°36'56.94	26°56'52.06
18	92°19'39.72	26°53'18.04	66	92°37'3.910	26°56'35.78
19	92°19'36.77	26°52'59.44	67	92°37'6.128	26°56'6.947
20	92°19'37.66	26°52'47.77	68	92°36'58.81	26°55'38.79
21	92°19'35.22	26°52'36.01	69	92°36'47.34	26°55'19.12
22	92°19'38.36	26°52'14.37	70	92°36'46.71	26°55'12.13
23	92°19'37.73	26°51'55.90	71	92°36'51.59	26°54'46.87
24	92°19'40.02	26°51'37.85	72	92°36'47.47	26°54'14.79
25	92°19'47.78	26°51'21.08	73	92°36'48.34	26°54'6.907
26	92°20'4.652	26°51'3.304	74	92°36'42.99	26°53'32.73
27	92°20'27.35	26°50'50.25	75	92°36'44.61	26°53'19.63
28	92°20'53.79	26°50'45.55	76	92°37'8.411	26°52'58.85
29	92°30'8.389	26°50'40.70	77	92°37'25.17	26°52'34.31
30	92°32'44.20	26°50'43.24	78	92°37'36.83	26°52'5.734
31	92°35'37.90	26°50'39.02	79	92°37'38.43	26°51'36.16
32	92°36'8.102	26°50'43.24	80	92°37'30.07	26°51'7.528
33	92°36'28.36	26°50'50.93	81	92°37'12.52	26°50'42.46
34	92°36'45.11	26°51'3.727	82	92°36'47.39	26°50'23.27
35	92°36'56.82	26°51'20.43	83	92°36'17.00	26°50'11.73
36	92°37'2.394	26°51'39.53	84	92°35'36.67	26°50'6.540
37	92°37'1.323	26°51'59.24	85	92°32'44.47	26°50'10.73
38	92°36'51.81	26°52'21.61	86	92°30'9.547	26°50'8.215
39	92°36'36.79	26°52'42.08	87	92°20'53.48	26°50'13.05
40	92°36'15.00	26°52'58.57	88	92°20'13.81	26°50'20.10
41	92°36'8.847	26°53'12.35	89	92°19'35.53	26°50'43.26
42	92°36'8.790	26°53'21.45	90	92°19'16.58	26°51'4.550
43	92°36'5.225	26°53'32.62	91	92°19'4.941	26°51'29.70
44	92°36'9.404	26°53'44.06	92	92°19'1.507	26°51'56.77
45	92°36'12.14	26°54'5.285	93	92°19'2.041	26°52'12.84
46	92°36'10.71	26°54'20.14	94	92°20'29.97	26°55'48.03
47	92°36'12.70	26°54'23.88	95	92°20'29.97	26°55'48.03
48	92°36'15.39	26°54'45.16	96	92°20'29.97	26°55'48.03


**Boundary coordinates of 3-5 km zone**

Sl. No	Longitude	Latitude	36	92°37'6.128	26°56'6.947
1	92°17'49.60	26°52'15.20	37	92°37'3.910	26°56'35.78
2	92°17'46.56	26°52'39.55	38	92°36'56.94	26°56'52.06
3	92°17'50.63	26°52'59.15	39	92°36'48.91	26°57'23.98
4	92°17'51.79	26°53'30.00	40	92°36'38.54	26°57'38.73
5	92°18'5.812	26°54'22.34	41	92°36'36.07	26°57'55.31
6	92°18'22.44	26°54'26.50	42	92°36'30.35	26°58'6.669
7	92°18'20.23	26°55'22.36	43	92°37'34.90	26°58'34.88
8	92°19'57.28	26°55'42.17	44	92°37'45.83	26°58'13.16
9	92°19'48.80	26°55'40.44	45	92°37'47.63	26°58'1.069

10	92°19'31.84	26°55'14.60	46	92°37'55.50	26°57'49.77
11	92°19'22.73	26°54'43.06	47	92°38'14.73	26°56'49.81
12	92°19'13.75	26°53'51.14	48	92°38'18.42	26°56'1.750
13	92°19'3.748	26°53'22.03	49	92°38'6.228	26°55'14.83
14	92°18'59.00	26°52'37.19	50	92°38'0.471	26°55'4.616
15	92°19'4.941	26°51'29.70	51	92°38'4.011	26°54'50.28
16	92°19'16.58	26°51'4.550	52	92°37'57.72	26°53'46.65
17	92°19'39.77	26°50'39.67	53	92°38'26.70	26°53'8.431
18	92°20'13.81	26°50'20.10	54	92°38'34.98	26°52'53.19
19	92°20'53.48	26°50'13.05	55	92°38'47.86	26°52'18.70
20	92°30'9.547	26°50'8.215	56	92°38'50.52	26°51'29.42
21	92°32'44.47	26°50'10.73	57	92°38'36.58	26°50'41.69
22	92°35'36.67	26°50'6.540	58	92°38'7.318	26°49'59.92
23	92°36'7.052	26°50'9.471	59	92°37'25.43	26°49'27.94
24	92°36'47.39	26°50'23.27	60	92°36'24.84	26°49'6.455
25	92°37'12.52	26°50'42.46	61	92°35'34.22	26°49'1.571
26	92°37'30.07	26°51'7.528	62	92°32'45.00	26°49'5.709
27	92°37'38.43	26°51'36.16	63	92°30'11.86	26°49'3.243
28	92°37'36.83	26°52'5.734	64	92°20'52.85	26°49'8.054
29	92°37'25.17	26°52'34.31	65	92°19'46.76	26°49'19.80
30	92°37'8.411	26°52'58.85	66	92°18'45.78	26°49'56.00
31	92°36'45.04	26°53'18.60	67	92°18'14.20	26°50'31.47
32	92°36'42.99	26°53'32.73	68	92°17'54.78	26°51'13.40
33	92°36'51.59	26°54'46.87	69	92°17'49.05	26°51'58.51
34	92°36'47.34	26°55'19.12	70	92°17'49.60	26°52'15.20
35	92°36'58.81	26°55'38.79			

## ANNEXURE-III

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SONAI RUPAI WILDLIFE SANCTUARY WITH  
LATITUDES AND LONGITUDES**



## ANNEXURE-IV

**Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

[Details may be attached as annexure]

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.  
[Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.  
[Details may be attached as separate annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.